

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक: एफ 5-1/2017/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19 मई, 2017

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- सामान्य भविष्य निधि के मासिक कटौती के संबंध में ।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 1255/99/सी चार दिनांक 8-7-1999.




मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम ॥ (1) (ख) का प्रावधान निम्नानुसार है; “वह इस प्रकार अभिव्यक्त की गई राशि कितनी भी राशि हो सकेगी किन्तु वह उपलब्धियों के बारह प्रतिशत से कम नहीं हो सकेगी तथा उसकी उपलब्धियों से अधिक नहीं हो सकेगी ।” इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा (पी.एफ.) नियम, 1955 में भी अंशदान की न्यूनतम कटौती का प्रावधान है ।

2/ शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ऊपरवर्णित नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि के अंशदान की कटौती नहीं की जा रही है ।

3/ कृपया सुनिश्चित करें कि सामान्य भविष्य निधि अभिदाता से उक्त अभिदान की निर्धारित न्यूनतम कटौती की जावे एवं पूर्व माहों में यदि अंशदान उपर्युक्त न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम काटा गया है तब ऐसी तारीख से वर्तमान तक की अन्तर की राशि भी संबंधित अभिदाता के वेतन से समायोजित करते हुए भविष्य निधि खाते में जमा कराई जावे ।

4/ कृपया समस्त अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि नियम के ऊपरवर्णित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित करें ।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिरुद्ध मुकुर्जी)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(अजय चौबे)
उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग